



GJEPC / P / RNW / 2012-13 /

15th March 2012

To

All Associate Members / Ordinary Members of the Council

Sub: Renewal of Membership for the year April 2012 to March 2013

Dear Sir(s) / Madam(s),

Members are requested to note that as per the provisions of the Council's Memorandum & Articles of Association, membership for the Financial Year 2012-13 is due for renewal on or before 30th April, 2012.

In its endeavor to provide better service to the members of the Council, GJEPC has developed online software which will enable the members to submit their application for renewal of membership for the year 2012-13 through Council's website www.gjepc.org.

The Members are requested to note that the Membership & Admission Fees has been revised by the Committee of Administration ("CoA") in its meeting held on 2nd February, 2012.

The details of the revision of Membership and Admission fees effective from 1st April 2012 and the guidelines for members are given in the ANNEX – 1. The procedure for submitting the membership application is enclosed at ANNEX – 2. Also, a User Manual with instructions for submission of online application is available on the Council's website.

The procedure for payment of membership fees remains same as previous year to be paid by challan available on the website in the bank identified on the challan. The existing members of the Council can use their username and password to login in the Membership Section on www.gjepc.org.

It may be noted that the membership will be issued only after the payment is cleared in the bank and not on the basis of date of challan for cheque deposited in bank.

In case member requires membership certificate urgently they should make the payment of membership subscription by demand draft or pay order in favour of The Gem & Jewellery Export Promotion Council at the concerned bank.

The Members are further requested to renew its membership on or before 30th April, 2012 taking note of the above, for the purpose of voting rights, availing of the concession in KP processing fees and for availing of the smooth and unhindered services pertaining to the Exhibition services extended by the Council to its members.

Should the Members need any further details or have any queries, they can contact the Membership department of the Council on 044 – 28155180 or by e-mail at venugopal@gjepcindia.com.

Thanking you,

For and on behalf of

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

RUBAN HOBDAY

DIRECTOR

Encl: As above.

ANNEXURE - 1

Revision of Membership Fee for the FY 2012-13.

Looking at inflationary expense pressures on the Council and for taking new projects to tap new markets, the Committee of Administration ("CoA") in its recently convened meeting held on 2nd February, 2012, decided to revise the membership fees & admission fee for the FY 2012-13 w.e.f. 1st April 2012.

1. Membership Fee: Membership fee for the year 2012-13 is payable according to the export performance of the Firm in the year 2011-12, along with a self declaration of imports & exports as shown in the challan.

2. Service Tax: As per the Notification No. 16/2009-ST dated 7.7.2009 service tax @12.36% is applicable on the membership fee as well as admission fee.

3. Following subscription is payable by you for renewal of your Associate Membership/ Ordinary Membership for the year 2012-13:

Export Performance of Gem & Jewellery during the year 2011 - 12	Membership fee for 2012-13 Rs.	Service Tax @10.3% Rs.	Total Fees Payable Rs.
Export Upto Rs. 25 Lakhs	6000/-	742/-	6742/-
Export above Rs. 25 lakhs upto Rs. 1 Crore	10000/-	1236/-	11236/-
Export above Rs.1 Crore upto Rs. 5 Crore	15000/-	1854/-	16854/-
Export above Rs. 5 Crore upto Rs. 15 Crore	30000/-	3708/-	33708/-
Export above Rs.15 Crore upto Rs. 50 Crore	40000/-	4944/-	44944/-
Export above Rs.50 Crore upto Rs. 100 Crore	65000/-	8034/-	73034/-
Export above Rs.100 Crore upto Rs. 500 Crore	100000/-	12360/-	112360/-
Export above Rs.500 Crore	150000/-	18540/-	168540/-
Export above Rs. 1000 Crore	200000/-	24720/-	224720/-

Admission Fee / Late Fee payable in case of new membership / late renewal is Rs.5,000 + Service Tax.

4. Outstanding Payment: Keeping in line with decision of CoA taken in its duly convened meeting, it may be further noted that any and all outstanding payment(s) from a member towards the Council, in the immediate preceding year will be seriously viewed while renewing the membership of the incumbent firm for the financial year 2012-13, unless justified to the satisfaction of the Council.

In this context, please be informed that payments towards the Council shall be deemed to be outstanding, if the same is due and payable to the Council and is outstanding for more than 3 (three) months from the date of Invoice raised by the Council and the Council's decision in this behalf shall be deemed to be final, if no discrepancy / dispute with respect to the such invoiced amount was brought to the Council' notice within 30 (thirty) days from the date of every such invoice.

5. Group of Companies : It is very imperative for the Members to note that it will be required to renew membership for each of the entity under its group companies, failing which, the membership shall be deemed to be valid for only that particular entity which has renewed its membership and whose name reflects on the membership renewal form and the receipt challans. For the avoidance of doubt, the relevant facilities of the Council shall be extended only to those members whose name reflects on the Membership Renewal Form, received challan, Membership Certificate and the RCMC issued by the Council. Thus, it is pertinent that each entity under a group should renew its members pursuant to the terms herein.

6. Non-submission of Renewal application: The CoA further decided that in the absence of renewal of membership, the firm will NOT be permitted to enjoy various privileges offered by the Council pursuant to the Article 11.1 of Memorandum & Articles of Association and such activities & facilities open for participation to the Council Members as under:

Any event/ exhibitions in India/abroad;

Participation in Delegations;

Participation in Buyer Seller Meets;

Nomination for Annual Awards;

Receipt of Solitaire International, Ideal Cut & Circulars;

Attending Seminars & Workshops;

Recommendation letter for visa;

Permissions for participating in Foreign Exhibitions, Export Promotion Tours, Display of Branded Jewellery Abroad etc.

GENERAL RULES & REGULATIONS

1. CLAUSES OF MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION REGARDING MEMBERSHIP RULES

3. CATEGORIES OF MEMBERS, AND ELIGIBILITY FOR MEMBERSHIP

3.1 Categories of Members of the council

The Council shall have the following categories of members, namely:

(a) Associate Members:

(b) Ordinary Members:

3.2 Associate Member

A person shall be eligible for admission to the Council as an Associate Member, on receiving the Import-Export Code Number from the Director General of Foreign Trade, Government of India, in respect of the product with which the Council is concerned.

3.3 Ordinary Membership

In order to be eligible for ordinary membership of the Council, a person must satisfy the following requirements, namely:

(a) He, or the entity represented by him, must have been an Associate Member of the Council for at least three years.

(b) He, or the entity represented by him, must have, to his or its credit, during the three financial years immediately preceding,

(c) Average exports in respect of the product, of not less than the amount mentioned below:

(i) Small scale industries Rs. 10 lakhs

(ii) Others Rs. 25 lakhs

8. DISQUALIFICATIONS FOR MEMBERSHIP OF COUNCIL

8.1 Disqualification

A person shall be disqualified for being, or for continuing, as a member of the Council if

(a) he is found to be of unsound mind by a competent court;

(b) he applies to be adjudicated as, or is adjudicated as, an insolvent;

(c) he is convicted by a court of an offence involving moral turpitude and is sentenced, on such conviction, to imprisonment for not less than six months;

(d) he, or any firm in which he is a partner, or any private company of which he is a Director, commits a violation of section 295 or section 299 of the Act;

(e) he, becomes disqualified by an order of the court under section 203 of the Act;

(f) he ceases to be a member of the entity which he represents or such entity ceases to be a member of the Council; or

(g) his name is removed from the register of members under article 8.2

8.2 Removal by the Committee

The Committee may, after giving a member reasonable opportunity of hearing, remove the name of that member from the Register of Members, either for a specified period or indefinitely:

if he has violated any condition for membership or

if he has been in arrears in regard to the payment of membership fee or of any other amounts due from him to the Council for more than six months; or

if he has been guilty of disorderly conduct at meetings of the Council or of the Committee; or

if he has otherwise been guilty of conduct in becoming of a member; or

if he has become disqualified under article 8.1

8.3 Conversion into Associate membership

The Committee may, after giving a member reasonable opportunity of hearing, convert the membership of an Ordinary Member into an Associate Membership, if his performance as an exporter of the product has, during the financial year immediately preceding been below the average mentioned in clause (b) of article 3.2.

11 PRIVILEGES OF MEMBERS

11.1 Ordinary Members

Without prejudice to any other rights conferred on Ordinary Members by the Memorandum of Association of the Council,

but subject to the other provisions of these articles, Ordinary Members shall have the following rights and privileges, namely:

- (a) right to stand as a candidate, and to vote at the election of the members of the Committee and the right to vote on all matters brought before a meeting of the Council, provided there are no arrears of subscription or other dues or charges payable by them to the Council on 1st April in the year of voting;
- (b) right to requisition a meeting, as provided in these articles;
- (c) right to receive the annual reports of the Committee, on payment of the prescribed fee;
- (d) right to receive publication of the Council, on the prescribed conditions; and
- (e) right to use all such facilities as may be made available to such members by the Council from time to time, on the prescribed conditions.

11.2 Associate Members

Without prejudice to any other rights conferred on Associate Members by the Memorandum of Association, of the Council, such members shall have the following rights and privileges namely;

- (a) right to receive the annual report of the Committee, on payment of the prescribed fee;
- (b) right to receive publications of the Council, on the prescribed conditions;
- (c) right to use all such facilities* as may be made available from time to time, on the prescribed conditions.

* Facilities such as

- i) Any event/ exhibitions in India/abroad,
- ii) Delegations,
- iii) Buyer Seller Meets,
- iv) Annual Awards
- v) Receipt of Solitaire International, Ideal Cut & Circulars
- vi) Attending Seminars & Workshops
- vii) Recommendation letter for visa
- viii) Permissions for Hand carry for Foreign Exhibitions & etc.

11.3 Nominated and Co-opted Members

A nominated or co-opted member shall have no right to vote

13. SUSPENSION OF PRIVILEGES.

13.1 Non-payment of subscription.

If a member (Ordinary or Associate) fails to pay his annual subscription by the 30th April of the year for which it has become due, then

- (a) he shall not be entitled to exercise any right or privilege as such member and
- (b) the committee may suspend his membership, which suspension shall remain operative until he pays the arrears and the Committee accepts in writing such arrears and restores his membership after revoking his suspension

ANNEXURE – 2

Procedure for remittance of Membership Fee for renewal

Members are requested to follow the guidelines given below carefully in their own interest and in case of any difficulty you may contact the Council immediately.

1. Renewal Application Form available on the website should be completely filled in by the applicant and duly stamped & signed by the Partner/Proprietor/Director of the Firm;
2. The completely filled in membership renewal application form should be submitted to the Regional Office of the Council, Chennai along with a photo copy of the payment challan duly stamped and receipted by the Bank at the address mentioned on the Challan.
3. **Members located in Chennai are required to make the payment at Corporation Bank, 41, Venkatnarayana Road, T. Nagar Branch, Chennai 600 017.**

4. **The membership will be issued only after the payment is credited to the bank account of the Council and not on the basis of date of challan for cheque deposited in bank.**
5. **In case any member requires membership certificate urgently they should make the payment of membership subscription by demand draft or pay order in favor of The Gem & Jewellery Export Promotion Council in the concerned bank.**
6. The challan can be printed from the website in triplicate, and should be submitted along with the membership fees at the Corporation Bank as mentioned in point 3 above.
7. The copy received from the BANK after payment can also be sent by e-mail to Council. However kindly mention the Membership Number in the subject line for ready reference.
8. Members are requested to keep one photocopy of the Challan for their own record.
9. Payment Challan must be completed fully without leaving any column blank.
10. Declaration of exports/imports incorporated in the body of the challan itself should be signed by the proprietor/partner/director as the case may be, under the stamp of the firm and submitted without fail. Every such self declaration shall be construed to be true & valid by the Council and thus relied upon for dissemination under an order of the Govt. authority or like body. The Members explicitly agrees to indemnify and keep the Council indemnified, safe and harmless from and against any and all third party claims arising out of such dissemination of the declaration or the declared quantum of export/import, if the same turns out to be untrue and /or is the subject matter of the indemnification.
11. Membership fee is required to be paid on the basis of f.o.b. value of export of gem and Jewellery items during the year 2011-12 (i.e. from 1-4-2011 to 31-3-2012, both days inclusive) as shown in the Annexure 1.
12. The applicable Service Tax on membership fee should be mentioned separately at the column specified in Bank Challan.
13. The members can send the duly signed Membership Renewal Form after downloading from the website and the payment challan endorsed by the Bank by E-mail, Courier or by hand delivery to the Council's office located in their respective region at the address mentioned on the membership form.
14. The Membership Renewal Form should be duly signed by the Partner/Proprietor/Director of the firm, as the case may be, under the firm's rubber stamp affixed on its each page. The facility of printing of membership form is available on Council's Website (www.gjepc.org) after filling in the details as per the stipulated guidelines.



दि. 15 मार्च 2012

जीजेइपीसी/पीआरएनडब्ल्यू/2012-13.

सेवा में,

परिषद के समस्त एसोसिएट सदस्य/साधरण सदस्य

विषय:- अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की सदस्यता के नवीनीकरण के लिए।

महोदय/महोदया,

सदस्यों से पह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए परिषद के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के उपबंधों के अनुसार सदस्यता का 30 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके पूर्व नवीनीकरण किया जाना है।

परिषद के सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने के अपने प्रयास में रल एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने एक ऐसे ऑनलाइन सोफ्टवेयर का विकास किया है जिससे सदस्य वर्ष 2012-13 के लिए सदस्यता का नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन परिषद की वेबसाइट www.gjepc.org के जरिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि कि प्रशासनिक समिति ('सिओए') द्वारा 2 फरवरी 2012 को की गई बैठक में सदस्यता शुल्क में संशोधन किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल 2012 से लागू सदस्यता शुल्क में संशोधन और सदस्यों के लिए दिशानिर्देश का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

सदस्यता आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध-2 में दी गई है। इसके अलावा, आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के अनुदेशों के साथ प्रयोक्ता मैनुअल तत्काल संदर्भ हेतु अनुबंध-3 में दिया गया है और यह वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्यता शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पिछले वर्ष के समान ही है, जिसका भुगतान परिषद द्वारा बताए गए बैंकिंग में वेबसाइट पर उपलब्ध चालान द्वारा किया जाएगा।

सभी आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बैंक में चेककाभुगतान जमा होने के बाद ही सदस्यता जारी की जाएगी, चालान द्वारा बैंक में चेक जमा करने की तारीख के आधार पर नहीं होगी।

यदि किसी सदस्य को सदस्यता प्रमाण-पत्र जल्दी प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो उसे डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा रल तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पक्ष में भुगतान करके जल्दीप्राप्त कर सकता है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने, केपी प्रसंस्करण शुल्क में रियायत का लाभ उठाने और परिषद द्वारा अपने सदस्यों को प्रदत्त प्रदर्शनी सेवाओं से संबंधित सुगम एवं निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक सदस्य को अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 202 या उससे पूर्व कराना अपेक्षित है।

यदि किसी सदस्य को और अधिक ब्यौरे की जरूरत है अथवा कोई पूछताछ करना चाहता है तो वह परिषद के सदस्यता विभाग में फोन नं. 044-28155180 या venugopal@gjepcindia.com पर इ-मेल द्वारा संपर्क कर सकता है।

धन्यवाद,

तर्फ़, रल तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

Renu Hosdage

रुबन होडगे

निदेशक

रल तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

मुख्य कार्यालय: टॉवर-अ, अंडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051. (भारत)
Head Office : Tower-A, AW-1010, G-Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051. (India)

फोन/Tel.: 91-22-2654 4600 फॅक्स/Fax : 91-22-2652 4764

ई-मेल/E-mail : gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट/Website: <http://www.gjepc.org>

अनुबंध-1

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सदस्यता शुल्क में संशोधन

परिषद पर मुद्रास्फीति खर्च के दबाव को देखते हुए और नई परियोजनाओं एवं नए बाजारों का देहन करने के लिए, प्रशासनिक समिति ('सीओए') ने अपनी हाल ही में बुलाई गई 2 फरवरी, 2012 की बैठक में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सदस्यता शुल्क में संशोधन का फैसला किया है जो कि । अप्रैल 2012 से लागू होगा ।

1. सदस्यता शुल्क : वर्ष 2012-13 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवंआयात को स्वतः धोषणा के साथ वर्ष 2011-12 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा ।
2. सेवा कर : दिनांक 07-07-2009 की अधिसूचना सं.16/2009-एसटी के अनुसार प्रवेश शुल्क और सदस्यता पर 12.36% की दर से सेवा कर लगू होगा ।
3. वर्ष 2012-13 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपको द्वारा निम्नलिखित राशि देय है :

वर्ष 2011-12 के दौरान नल एवं अग्नीष्मण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2012-13 के लिए सदस्यता शुल्क रु.	सेवा कर 12.36% कीदरसे रु.	देय कुल शुल्क रु.
25 लाख रु. तक निर्यात	6000	742	6742
25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड रु. तक निर्यात	10000	1236	11236
1 करोड रु. से अधिक और 5 करोड रु. तक निर्यात	15000	1854	16854
5 करोड रु. से अधिक और 15 करोड रु. तक निर्यात	30000	3708	33708
15 करोड रु. से अधिक और 50 करोड रु. तक निर्यात	40000	4944	44944
50 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	65000	8034	73034
100 करोड रु. से अधिक और 500 करोड रु. तक निर्यात	100000	12360	112360
500 करोड रु. से अधिक निर्यात	150000	18540	168540
1000 करोड रु. से अधिक निर्यात	200000	24720	224720

नई सदस्यता के मामले में देय प्रवेश शुल्क 5000/- + सेवा कर ।

4. बकाया भुगतान: विधिवत बुलाई गई प्रशासन समिति (सीओए) की बैठक में लिए नाए निर्णय के अनुसार यह भी नोट किया गया कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में परिषद का किसी सदस्य पर बकाया कोई या सभी भुगतान को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए संबद्ध फर्म की सदस्यता के नवीनीकरण के समय गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है ।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाए कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी मैंन लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा ।

5. कंपनी समूह : सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है । शंका के निवारण हेतु परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी

आसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखानीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

6. नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना: प्रशासनसमिति ने आगे यह निर्णय लिया कि सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्मकोसंस्था के ज्ञापन और अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.1 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी :

- ❖ भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी.
- ❖ प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- ❖ क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
- ❖ वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन.
- ❖ सॉलिटेयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- ❖ सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- ❖ वीजाहेतु संस्तुति पत्र.
- ❖ विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ.

सामान्य नियम एवं विविध

1. सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएस के परिच्छेद 1 और सदस्यता हेतु मापदंड

2. सदस्यों की श्रेणियाँ।

3.1. 1 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ।

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात् :

(1) एसोसिएट सदस्य :

(2) साधारण सदस्य :

3.2. एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

3.3. साधारण सदस्य

परिषद को साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए अर्थात् :

(क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।

(ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्षकी तीन वितीय वर्षों के दौरान एसोसिएट सदस्य हो।

(ग) उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे अल्लिखित शशि से कम नहीं होने चाहिए :

(i) लधु उद्योग 10 लाख रु.

(ii) अन्य 25 लाख रु.

8. परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ

8.1. अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

- (1) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;
- (2) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्याय निर्णीत हो गया हो;
- (3) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी उहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो ।
- (4) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 295 या धारा 299 का उल्लेघन किया हो ।
- (5) वह अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो ।
- (6) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो ।
- (7) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो ।

8.2. समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अवधिक के लिए अथवा अनिच्छित काल के लिए उक्त सदस्य के नाक को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है :

यदि उसने सदस्यता की किसी शांत का उल्लेघन किया हो, उथवा

यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ा हो, अथवा

यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असामान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा

यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा

यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो ।

8.3. एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातिक के रूप में उसका निष्पादन अनुच्छेद 3.2 के खण्ड(ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो ।

11. सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1. साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और-विशेषाधिकार होगे अर्थात :

- (1) समिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाग गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में । अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ संशोदन अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो ।
- (2) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
- (3) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;

- (4) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (5) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओंड का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए ।

11.2. एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात्:

- (1) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (2) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (3) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओंड का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उलब्ध कराया जाए ।

सुविधाएं, अर्थात्

- (i) भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी.
- (ii) प्रतिनिधिमंडल.
- (iii) क्रेता-विक्रेता सम्मेलन.
- (iv) वार्षिक पुरस्कार.
- (v) सॉलियेटर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- (vi) सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- (vii) वीजा हूतु संस्तुति पत्र.
- (viii) विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों हेतु व्यक्तिगत रूप से ले जाने वाले मदों के बारे में अनुमति.

11.3. नामांकित एवं सहयोजित सदस्य

किसी नामांकित या सहयोजित सदस्य के पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

13. विशेषाधिकार का स्थगन

13.1. अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उसे वर्ष को 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

- (क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और
- (ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है, और समिति इस तरह के बकाय लिखित रूप में स्वीकार करती है और बाद में उसकी सदस्यता को नुनस्थापित कर सकती है ।

नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को प्रेषित करने की प्रक्रिया

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खुद के हित में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में तत्काल परिषद से संपर्क करें।

1. वेबसाइट पर उपलब्ध नवीकरण आवेदन फार्म पूरी तरह से आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर विधिवत मुहर लगी हो उस पर भागीदार / मालिक & फर्म के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए।
2. सदस्यता नवीकरण आवेदन प्रयत्र पूरी तरह से विधिवत भरा और रसीदी चालान पर बैंक द्वारा भुगतान मुहर लगी चालान की एक फोटो कॉपी के साथ उल्लिखित पते पर परिषद को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. चेत्रे में स्थित सदस्यों को Corporation Bank, डि�.नगर में भुगतान करने की आवश्यकता है।
4. सदस्यता, बैंक में चेक के भुगतान बाद हो दी जाएगी, बैंक में चेक के लिए जमा चालान की तारीख के आधार पर नहीं दी जाएगी।
5. वेबसाइट से चालान तीन प्रतियों में मुद्रित किया जा सकता है, और सदस्यता शुल्क के साथ केवल Corporation Bank, डि�.नगर में ही जमा किया जाना चाहिए।
6. भुगतान के बाद बैंक से प्राप्त प्रतिलिपि परिषद के लिए ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। केवल संदर्भ हेतु विषय पंक्ति में सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी रख लें।
8. भुगतान चालान किसी भी कॉलम को खाली छोड़े बिना पूरी तरह से पूरा भरना चाहिए।
9. नियात/आयात की घोषणा चालान के निगमित शामिल मामले के रूप मालिक/भागीदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फर्म की मुहर के साथ बिना किसी भी गलती के जमा किया जाना चाहिए हर ऐसे स्वयं घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध अर्थ लगाया जाएगा और इस प्रकार सरकार के एक प्राधिकारी या संस्था की तरह के तरह आदेश प्रसार के लिए माना जाएगा। ऐसे किसी त्रुटिपूर्ण घोषणा के सदस्य परिषद को क्षतिरहित रखने रहित रखने के लिए सहमात्र हैं, जो कि सुरक्षित और हानिरहित होने के साथ किसी भी तीसरे पक्ष के आयात/नियात के घोषित दानवे के प्रसार में से यदि कोई भी झूठ निकला तो यह झूठ की क्षतिपूर्ण सदस्य की जिम्मेदारी होगी।
10. सदस्यता शुल्क के लिए एफओबी के आधार पर भुगतान किया जाना आवश्यक है जो वर्ष 2011-12 के दौरान रल और आभूषण के नियात वस्तुओं (01/04/2011 से 31/03/2012 तक यानी, दोनों दिन शामिल) के मूल्य के रूप में अनुबंध-2 में दिखाया गया है।
11. सदस्यता शुल्क पर लागू सेवा कर, बैंक चालान में निर्दिष्ट स्तंभ पर अलग से अल्लेख किया जाना चाहिए।
12. सदस्य वेबसाइट पर उपलब्ध नवीकरण फार्म विधिवत हस्ताक्षर युक्त और बैंक द्वारा मसर्थन भुगतान चालान सहित सदस्यता के रूप में ई-भेल, करियर द्वारा या हाथ विरतण के द्वारा सदस्यता फार्म पर उल्लिखित पते पर अपने क्षेत्र में स्थित संबंधित परिषद के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं।
13. सदस्यता नवीकरण फार्म विधिवत भागीदार/मालिक/फर्म के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, भरे गए फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की रबर स्टेम्प मुहर लगी होनी आवश्यक है, जिसके निर्धारित दिशा निर्देश और विवरण परिषद के वेबसाइट (राजदू) पर उपलब्ध है।